

(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर
धौलपुर

3 12 / 18

अपीलान्ट अनुपस्थित / लोक सूचना अधिकारी
(MOP) धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल
पत्रावली को गई। मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा-गई
गई सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। सूचना को अधिकार
अधिनियम 2005 की धारा 11(1) से (4) के अन्तर्गत तृतीय
पक्ष को सूचना बिना उसके अनुमति के नहीं दी जा सकती
है। तृतीय पक्ष ने आवेदन पत्र डि. 2/11/18 प्रस्तुत कर सूचना
देने का लिए मना किया है। अतः उक्त रिपोर्ट के आधार
पर अपीलान्ट को सूचित काले डूरे पत्रालय इन्हीं
स्वरूप निश्चित किया जाता है। रिपोर्ट को प्राप्त
अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली कि एक
सुमार ही वाइतकमील दारिद्र्य दफ्तर ही नम्बर
से कार्य को जावे।

874
13-12-18

(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर
धौलपुर